

चतुर्थ-अध्याय

उपसंहार

इस लघु शोध में मौर्य साम्राज्य में अहिंसा के स्वरूप को दो आधार पर दिखाने का प्रयत्न किया गया है। प्रथम साम्राज्य में कुशल प्रशासन का स्थापित होना और समाज में आपस में हो रहे हिंसा तथा विद्रोह को एकता तथा द्वितीय साम्राज्य में धार्मिक नैतिकता द्वारा व्यक्ति के भीतर प्रेम भाव उत्पन्न करना।

वैष्णव धर्म के अंतर्गत जब लोग विष्णु की पुजा की जाती हैं और उनके अनेक अवतार हैं। मौर्य वंश 321 ई. पू. से 105 ई. पू. तक था। उस समय लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे। किन्तु शिक्षा की एक कुशल व्यवस्था अवश्य थी जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय परंतु ये व्यवस्था जन सामान्य को मिल पाता सम्भव नहीं था इसलिए ज्यादातर लोग अशिक्षित थे। अतः व्यक्ति का प्रकृती के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया।

वैष्णव धर्म में विष्णु संबंधित अवैदिक सूक्त और आख्यान निहित हैं। ऋग्वेद में देवताओं के ऐश्वर्य, पराक्रम, विस्तार आदि के अतिरिक्त उपनिषदों के ज्ञान, दर्शन और सिद्धांत आदि का समावेश इस धर्म में हुआ है। वैष्णव साधक की दृष्टि में यह विशाल विश्व उस ऐश्वर्यशाली विष्णु कि ही शक्तियों की अनेकानेक अभिव्यक्ति हैं अर्थात् यदि समस्त जगत विष्णु की ही दे है और विष्णु तथा जगत में कोई अंतर नहीं है। तो इन वाक्यों से यह स्पष्ट है की किसी भी आधार पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के साथ की चाहे मनुष्य हो, पशु हो

या पेड़-पौधे किसी के साथ भी हिंसा होती हैं, तो वह स्वयं भगवान विष्णु के साथ हिंसा मानी जायेगी और वैष्णव साधक ऐसा कदापि नहीं कर सकते। इस प्रकार वैष्णव साधक के मन-मष्टिक में अहिंसा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था। जो अवश्य ही एक सफल का उपाय था। मौर्य काल तक विष्णु के 39 अवगत हो गए थे और प्रत्येक अवतार प्रकृति के एक विशेष भाग का प्रतीक था।

शैव धर्म के अंतर्गत तो स्पष्ट रूप से शिव को पाशुपत शिव कहा है। तथा शिव का संबंध आर्य-अनार्य, पशु-पक्षी पेड़ पौधो के साथ स्थापित किया गया। यह भी ठीक वैष्णव धर्म की तरह ही प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठने का और व्यक्ति का प्रकृति और अन्य इन लोगो के साथ प्रेम और अहिंसा का एक संदेश था। शिवलिंग स्पष्ट रूप उस समाय के लिए संतानोत्पत्ति तथा शुभ का संदेश था। किन्तु साथ में शिव लिंग के ऊपर एक सर्प हैं, जो स्पष्ट रूप से यह बताता हैं कि हमारे मन में आदि गलत भावना हो तो सर्प डसने को तैयार है। आदि वर्तमान समय में उसकी तुलना की जाये तो वह एक विशेष रोग AIDS का प्रतिमान करते हैं।

जैन धर्म की उत्पत्ति ही हिंसा के खिलाफ हुई थी और जैन धर्म का मूल उद्देश ही अहिंसा है। साधनो के लिए पांचमूल कर्तव्य सत्य, अहिंसा, अंतरंग, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य अति आवश्यक हैं। जैन दर्शन पूरे जगत् को प्राणवात मानता है। जैन धर्म का मानना है कि सभी प्राणी समान है, सभी को जीने का अधिकार है तथा सभी जीना चाहते है, व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए मौर्य वंश में सामान्य जन जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। चन्द्रगुप्त मौर्य जिसका साम्राज्य ईरान से लेकर मैसूर तक फैला

हुआ था, ने जैन धर्म को अपना लिया था और सखखेलना का पालन करते हुये चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवा त्याग दिया। जैन धर्म में आचार मीमासा से संबंधित त्रिरत्न की व्याख्या की गई है। त्रिरत्न भी एक अहिंसात्मक पक्ष हैं। पहला सम्यक श्रद्धा अर्थात सांसारिक सुखो का त्याग का संदेह से दूर होकर सबके लिए प्रेम भाव रखते हुये सही विश्वासों पर ही रहना ही सम्यक श्रद्धा है। दूसरा सम्यक ज्ञान अर्थात सत का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान हैं और तीसरा सम्यक चरित्र अर्थात सचरित्र और सदाचार का पालन करते हुये जब जीव क्लेशो और अशोमान कार्यो से निंतांत रहित हो जाता है तो वह सम्यक चरित्र कहा जाता हैं। इस प्रकार मौर्य काल में जैन धर्म से प्रभावित लोग पूरे साम्राज्य में जहां-जहां वे थे, अहिंसा का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। बौध दर्शन में बताया गया हैं कि संसार में दुःख ही दुःख है और इसका कारण यह हैं कि व्यक्ति सांसारिक मोह-माया, लोभ में फसा हुआ हैं, और ये सब ही उसके दुःखो का कारण हैं। यदि व्यक्ति इन दुःखो से छुटकारा पाना चाहता हैं। तो उसे माध्यम मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को ग्रहण करना। इस के अलावा दस शील पर ज़ोर दिया गया हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नृत्य-गान का त्याग, सुगंध मालादि का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सय्या का त्याग। ये सभी बौद्ध भिक्षु के लिए अनिवार्य थे और इन सब में सर्वोपरि अहिंसा थी। किसी भी कारण से मन, वचन, कर्म से अहिंसा नहीं होती थी। यही मूल उद्देश था, इसी कारण से जब सम्राट अशोक कलिंग यूद्ध की विभीषिका से आहत हुआ। तो वह अपने मन के आवेगों को शांत करने के लिए बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ और पूरे साम्राज्य में अहिंसा का स्थापित करने का

प्रयास किया उसके पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा ने भी बौद्ध धम्म को स्वीकार किया और राज्य धर्म के रूप में उसे निरंतर जारी रखा किन्तु। अशोक द्वारा बनवाए गए सभी स्तूप बौद्ध धर्म का शांति एवं प्रेम का संदेश देते हैं।

चंद्र गुप्त मौर्य के कार्य की यदि समीक्षा की जाये तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है की मौर्य वंश के संस्थापक चंद्र गुप्त मौर्य (ब्राम्हण, जैन व बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार शूद्रजाति, जस्टिन के अनुसार साधारण वंश का था) ने एक कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की और प्रशासन के सुदृरीकरण ने समाज में फैली अराजकता को शांत कर दिया इस अहिंसा को बल मिला यह प्रशासनिक प्रबंध नान वंश के अंतिम शासक धननन्द के समय भी किया गया था किन्तु धाननद ने जनता के ऊपर अत्याधिक कर भार लाग दिया जिससे जनता में आ सहयोग और अशांति व्याप्त हो गई थी किन्तु इस समय नए राजा का एक अति बुद्धिमान ब्राम्ह कौटिल्य उसका सहयोगी मित्र एवं मार्ग दर्शक था जिसे यह अच्छी तरह पता था कि शासन व्यवस्था के साथ साथ जनता का सहयोग कितना आवश्यक हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विधित होता है कि शासन कि व्यस्था कि योजना के लिये सात अंग बनाए गये थे। 1.स्वामि अर्थात सार्वभौमिक शासक 2.अमात्य अर्थात मंत्री 3.जन पद 4.दुर्ग 5.कोश अर्थात वित्तीय बल 6.दंड अर्थात सैनिक बल 7.मित्रा अर्थात मैत्री संधियां। यूनानी वृत्तांतों से पता चलता हैं कि विभिन्न प्रशासनिक के हितो कि पूर्ति के लिए कई विभागों की स्थापना हुई थी। उनमें से कुछ ये हैं 1.मंत्री,परामर्शदाता तथा मंत्री परिषद के सदस्य 2.मुख्य दंडाधीश 3.राजस्व तथा कर 4.सिंचाई 5.सर्वेक्षण 6.कृषि 7.वन उद्भोग 8.लकड़ी के कारखाने 9.धातु की ढलाई के

कारखाने 10.खाने 11.शहरो के कारखाने 12.नगर में आने वाले विदेशी 13.सराय
14.आवश्यक तथ्य आंकड़े 15.रोगियों की देखभाल 16.बाजार का नियंत्रण 17.माप-तौल
18.जन निर्माण कार्य के नियंत्रक 19.पुरोहित 20.निरीक्षक 21.कोषाध्यक्ष 22.न्यायधीश
23.पशुपालक तथा शिकारी 24.शस्त्र बनाने वाले 25.जहाज बनाने वाले 26.खेती-बारी के
औजार बनाने वाले 27.नदियों तथा सिंचाई की नहरों के निरीक्षक 28.हाथी, घोड़े, रथ।

इन सभी विभागों को बिन्दुसार के समय भी बनाए रखा गया। ताकि साम्राज्य को
विखंडित होने से रोका जा सके।

सम्राट अशोक उस समय अहिंसा के एक प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता हैं कलिंग युद्ध
के पहले वह एक क्रूर शासक के रूप में ख्यात था। किन्तु कलिंग युद्ध के बाद उसके मन में
आत्मग्लानि होने लगी थी। वह सचने लगा था की मैं री अन्य राज्यों की विजय करने की एक
जिद्द ने कितने व्यक्तियों को मार डाला, कितनों को विधवा बना डाला, कितने व्यक्तियों को
बेघर कर डाला। उसका मन द्रवित हुआ उसने सदा-के लिए युद्ध का त्याग कर दिया। वह बौद्ध
धर्म की ओर आकर्षित हुआ। जिस धर्म का मुख्य उद्देश्य अहिंसा और प्रेम की स्थापना करना
था। अशोक को प्रकृति से प्रेम हो गया। उसका भेरी घोष धम्म घोष में परिवर्तित हो गया।यही
नहीं उसने अब प्रेम के संदेस के लिए धम्म यात्राये प्रारम्भ कर दी। साथ ही चंद्र गुप्त मौर्य के
कार्य की यदि समीक्षा की जाये तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है की मौर्य वंश के संस्थापक
चंद्र गुप्त मौर्य (ब्राम्हण, जैन व बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार शूद्रजाति, जस्टिन के अनुसार साधारण
वंश का था) ने एक कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की और प्रशासन के सुदृरीकरण ने समाज

में फैली अराजकता को शांत कर दिया इस अहिंसा को बल मिला यह प्रशासनिक प्रबंध नान वंश के अंतिम शासक धननन्द के समय भी किया गया था किन्तु धाननद ने जनता के ऊपर अत्याधिक कर भार लाग दिया जिससे जनता में आ सहयोग और अशांति व्याप्त हो गई थी किन्तु इस समय नए राजा का एक अति बुद्धिमान ब्राम्ह कौटिल्य उसका सहयोगी मित्र एवं मार्ग दर्शक था जिसे यह अच्छी तरह पता था कि शासन व्यवस्था के साथ साथ जनता का सहयोग कितना आवश्यक हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विधित होता है कि शासन कि व्यवस्था कि योजना के लिये सात अंग बनाए गये थे 1 स्वामि अर्थात सार्वभौमिक शासक 2 अमात्य अर्थात मंत्री 3 जन पद 4दुर्ग 5कोश अर्थात वित्तीय बल 6दंड अर्थात सैनिक बल 7मित्रा अर्थात मैत्री संधियां। यूनानी वृत्तांतों से पता चलता हैं कि विभिन्न प्रशासनिक के हितो कि पूर्ति के लिए कई विभागों की स्थापना हुई थी। उनमें से कुछ ये हैं 1.मंत्री,परामर्शदाता तथा मंत्री परिषद के सदस्य 2.मुख्य दंडाधीश 3.राजस्व तथा कर 4.सिंचाई 5.सर्वेक्षण 6.कृषि 7.वन उद्भोग 8.लकड़ी के कारखाने 9.धातु की ढलाई के कारखाने 10.खाने 11.शहरो के कारखाने 12.नगर में आने वाले विदेशी 13.सराय 14.आवश्यक तथ्य आंकड़े 15.रोगियों की देखभाल 16.बाजार का नियंत्रण 17.माप-तौल 18.जन निर्माण कार्य के नियंत्रक 19.पुरोहित 20.निरीक्षक 21.कोषाध्यक्ष 22.न्यायधीश 23.पशुपालक तथा शिकारी 24.शस्त्र बनाने वाले 25.जहाज बनाने वाले 26.खेती-बारी के औजार बनाने वाले 27.नदियों तथा सिंचाई की नहरों के निरीक्षक 28.हाथी, घोड़े, रथा।

इन सभी विभागों को बिन्दुसार के समय भी बनाए रखा गया। ताकि साम्राज्य को विखंडित होने से रोका जा सके।

सम्राट अशोक उस समय अहिंसा के एक प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता हैं कलिंग युद्ध के पहले वह एक क्रूर शासक के रूप में ख्यात था। किन्तु कलिंग युद्ध के बाद उसके मन में आत्मग्लानि होने लगी थी। वह सचने लगा था की मैं री अन्य राज्यों की विजय करने की एक जिद्द ने कितने व्यक्तियों को मार डाला, कितनों को विधवा बना डाला, कितने व्यक्तियों को बेघर कर डाला। उसका मन द्रवित हुआ उसने सदा-के लिए युद्ध का त्याग कर दिया। वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। जिस धर्म का मुख्य उद्देश्य अहिंसा और प्रेम की स्थापना करना था। अशोक को प्रकृति से प्रेम हो गया। उसका भेरी घोष धम्म घोष में परिवर्तित हो गया। यही नहीं उसने अब प्रेम के संदेश के लिए धम्म यात्राये प्रारम्भ कर दी। चंद्र गुप्त मौर्य के कार्य की यदि समीक्षा की जाये तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है की मौर्य वंश के संस्थापक चंद्र गुप्त मौर्य (ब्राम्हण, जैन व बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार शूद्रजाति, जस्टिन के अनुसार साधारण वंश का था) ने एक कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की और प्रशासन के सुदृरीकरण ने समाज में फैली अराजकता को शांत कर दिया इस अहिंसा को बल मिला यह प्रशासनिक प्रबंध नान वंश के अंतिम शासक धननन्द के समय भी किया गया था किन्तु धाननद ने जनता के ऊपर अत्याधिक कर भार लाग दिया जिससे जनता में आ सहयोग और अशांति व्याप्त हो गई थी किन्तु इस समय नए राजा का एक अति बुद्धिमान ब्राम्ह कौटिल्य उसका सहयोगी मित्र एवं मार्ग दर्शक था जिसे यह अच्छी तरह पता था कि शासन व्यवस्था के साथ साथ जनता का सहयोग कितना

आवश्यक हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विधित होता है कि शासन कि व्यवस्था कि योजना के लिये सात अंग बनाए गये थे। 1 स्वामि अर्थात सार्वभौमिक शासक 2 अमात्य अर्थात मंत्री 3 जन पद 4दुर्ग 5कोश अर्थात वित्तीय बल 6दंड अर्थात सैनिक बल 7 मित्रा अर्थात मैत्री संधियां। यूनानी वृत्तांतों से पता चलता है कि विभिन्न प्रशासनिक के हितों कि पूर्ति के लिए कई विभागों की स्थापना हुई थी। उनमें से कुछ ये हैं: 1.मंत्री, परामर्शदाता तथा मंत्री परिषद के सदस्य 2.मुख्य दंडाधीश 3.राजस्व तथा कर 4.सिंचाई 5.सर्वेक्षण 6.कृषि 7.वन उद्भोग 8.लकड़ी के कारखाने 9.धातु की ढलाई के कारखाने 10.खाने 11.शहरो के कारखाने 12.नगर में आने वाले विदेशी 13.सराय 14.आवश्यक तथ्य आंकड़े 15.रोगियों की देखभाल 16.बाजार का नियंत्रण 17.माप-तौल 18.जन निर्माण कार्य के नियंत्रक 19.पुरोहित 20.निरीक्षक 21.कोषाध्यक्ष 22.न्यायधीश 23.पशुपालक तथा शिकारी 24.शस्त्र बनाने वाले 25.जहाज बनाने वाले 26.खेती-बारी के औजार बनाने वाले 27.नदियों तथा सिंचाई की नहरों के निरीक्षक 28.हाथी, घोड़े, रथ।

इन सभी विभागों को बिन्दुसार के समय भी बनाए रखा गया। ताकि साम्राज्य को विखंडित होने से रोका जा सके।

सम्राट अशोक उस समय अहिंसा के एक प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है कलिंग युद्ध के पहले वह एक क्रूर शासक के रूप में ख्यात था। किन्तु कलिंग युद्ध के बाद उसके मन में आत्मग्लानि होने लगी थी। वह सचने लगा था की मेरी अन्य राज्यों की विजय करने की एक

जिद्द ने कितने व्यक्तियों को मार डाला, कितनों को विधवा बना डाला, कितने व्यक्तियों को बेघर कर डाला। उसका मन द्रवित हुआ उसने सदा-के लिए युद्ध का त्याग कर दिया।

नवां दीर्घ शिलालेख

देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सि ऐसा कहते हैं : लोग अनेक मंगलाचार करते हैं। रोग, पुत्रों और पुत्रियों के विवाह, संतान के जन्म, यात्रारंभ, इन और ऐसे दूसरे अवसरों पर लोग अनेक मंगलाचार करते हैं। खासकर स्त्रियां बहुत से ऐसे मंगलाचार करती हैं जो तुच्छ और निरर्थक हैं। ऐसे मंगलाचार करने का फल अल्प होता है। लेकिन एक मंगलाचार जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वह 'धम्म' का है। इसमें दासों और सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार, और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना और ऐसे अन्य कार्य 'धम्म' मंगल कहे जाते हैं। इसलिए पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, परिचित (व्यक्ति) और पड़ोसी को कहना चाहिए। 'यह पुण्य है। यह वह मंगलाचार है जिसे तब तक करते रहना चाहिए जब तक में रे लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए।'

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक ने साम्राज्य में अहिंसा को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया।

अशोक के परवर्ती शासक शासन की दृष्टि से कमजोर शासक थे। उन्होंने साम्राज्य में अहिंसा को स्थापित तो किया। किन्तु साम्राज्य को पतन से नहीं बचा सके। क्योंकि हिंसक तत्व ज्यादा शक्तिशाली हो रहे।

अशोक की नीति के प्रत्यक्ष रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी होने के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यह आरोप दो मुख्य मौर्य तर्कों पर आधारित है। प्रथम के अनुसार पुष्यमित्र का विद्रोह अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति और उसके उत्तराधिकारियों की जैन मत के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। दूसरा तर्क अशोक कि अहिंसा और शांति की नीति को साम्राज्य की शक्ति दुर्बल करने के लिए उत्तरदायी मानता है। प्रथम मत का प्रतिपादन हरप्रसाद शास्त्री ने असंदिग्ध शब्दों में किया है। राय चौधरी ने इस प्रश्न की समीक्षा विस्तार से की है। हम दोनों विद्वानों की युक्तियों का सारांश देंगे और आवश्यकतानुसार अपना मत प्रस्तुत करेंगे।

हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि पशु बली पर निषेध प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों पर आधात था क्योंकि उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा मुख्य रूप से इसमें सन्निहित थीं कि केवल उन्हें यज्ञ आदि करने का अधिकार था। इस तरह वे मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य कराते थे। राय चौधरी के मतानुसार जरूरी नहीं कि इस निषेध का अर्थ ब्राह्मणों का विरोध करना ही था क्योंकि स्वयं ब्राह्मण साहित्य में अहिंसा पर जोर दिया गया है और सिर्फ यज्ञों को ही महत्त्व देने कि व्यर्थता का उल्लेख किया गया है। एक अभिलेख में अशोक स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस विशेष जगह पर अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है, वहाँ कोई पशु बलि नहीं दी जा सकती। अन्य अभिलेखों में कुछ विशेष पशुओं कि हत्या पर निषेध है। इनमें सिर्फ उनका ही उल्लेख नहीं है कि जिनकी बलि यज्ञों में दी जाती थी बल्कि उनका भी उल्लेख है जो भक्षणीय समझ जाते हैं।

इसी विषय पर दूसरा तर्क यह है कि ब्राह्मण विशेष रूप से इसलिए भी क्षुब्ध हुए क्योंकि इस नियम की उद्-घोषणा एक 'शूद्र' राजा द्वारा की गई थी। मौर्यों की 'शूद्र' मूल का होने की बात पुरानों के एक कथन पर आधारित है जिसमें नन्द वंश का उल्लेख करते समय कहा गया है कि महापद्म के बाद के सभी राजा 'शूद्र' मूल के होंगे। राय चौधरी का कहना है कि यहाँ सिर्फ महापद्म के उत्तराधिकारी नन्द राजाओं से अभिप्राय हो सकता है क्योंकि अगर इसका आशय आगामी वंशों से है तो शुंगों और कन्वों कि भी शूद्र मानना होगा, जबकि हम जानते हैं कि शुंगों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुए थी। अन्य स्रोतों में मौर्यों के क्षत्रिय मूल का उल्लेख किया गया है।

शास्त्री का एक और तर्क ब्रह्मगिरि के लघु शिलालेख के उस कथन से संबन्धित है जिसमें जंबुदीप के देवताओं का उल्लेख किया गया है। उन्होंने इसका अर्थ यह लगाया है कि अशोक ने ब्राह्मणों को, जो 'भूदेव' या धरती के देवता समझे जाते थे, मिथ्या देवताओं के रूप में उद्-घाटित किया। जैसा हम पहले कह चुके हैं, यह तर्क 'अमीस्सा' शब्द के दूसरे मूल पर आधारित है। सामान्य तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि इस कथन में धरती पर प्रजा से देवताओं के मिलने-जुलने से अभिप्राय है और यहाँ मिथ्या देवताओं का उल्लेख नहीं है।